न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

(टीना डाबी,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 26 / 2026
प्रविष्टि दिनांक 13.03.2026

अब्दुल मन्नान निवासी 151 नीलगरो की मस्जिद के पास वार्ड नं. 21 मोहल्ला सहादत मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज. —अपीलान्ट

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा जिला टोंक —रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.12.2025 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा जिला टोंक

उपस्थिति —(1) अपीलांट —अनुपस्थित
(2) श्री सावंतराम मीना नायब तहसीलदार (निर्वाचन) पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 15.04.2026**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा नाम संशोधन हेतु प्रपत्र 8 रेफरेन्स नंबर S20094O8C1311251200182 द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा जिला टोंक ने अपने आदेश दिनांक 23.12.2025 से उक्त आवेदन को अस्वीकार किया है। अपीलांट ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा जिला टोंक के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा जिला टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब मय दस्तावेजात/रिकार्ड तलब किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा जिला टोंक ने अपना जवाब मय दस्तावेजात प्रस्तुत किया। अपीलांट अनुपस्थित है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र संलग्न किया है। न्यायहित मे अपीलांट का विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण मे पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अपीलांट ने दिनांक 25.03.2026 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित होकर अपने नाम के साक्ष्य के रूप मे राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र,जन्म प्रमाण पत्र, पेन कार्ड,पहचान पत्र,आधार कार्ड व जन आधार कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत कर उचित कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस मे निवेदन किया कि अपीलांट ने Appeal No. ;- APS2014G300126255717 प्रस्तुत की है। अपीलांट का नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मालपुरा (94) के भाग संख्या 186 की क्रम संख्या 170 पर अ. मन्नान दर्ज है। अपीलांट द्वारा निर्वाचक नामावली में उनके नाम अ. मन्नान के स्थान पर अब्दुल मन्नान करवाने हेतु दिनांक 13.11.2025 को नाम संशोधन हेतु प्रपत्र 8 रेफरेन्स नंबर S20094O8C1311251200182 में आवेदन किया गया था। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी,(एसडीएम) मालपुरा द्वारा दिनांक 23.12.2025 को उक्त प्रपत्र 8 Supported Documents Attach नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया है। अपीलांट द्वारा अपील 30.01.2026 को दायर की गई है जो कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 27 के तहत आदेश की तारीख 23.12.2025 से 15 दिन के भीतर की अवधि में नहीं है। इस हेतु अपीलांट द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 27 (1) (ग) के तहत विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र लगाया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी,(एसडीएम) मालपुरा ने अपनी रिपोर्ट/जवाब मे मतदाता/अपीलांट द्वारा फॉर्म 8 भरकर शुद्धि के लिए आवेदन किया है जिसमें अ. मन्नान के स्थान पर अब्दुल मन्नान करने के लिए रेफरेन्स नंबर S20094O8C1311251200182 से आवेदन किया था, जिसमें आधार कार्ड संलग्न किया था। उक्त आधार कार्ड में व मतदाता सूची में फोटो मैच नहीं होने के कारण एवं बीएलओ की फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट में आवेदनकर्ता अनुपस्थित था और बीएलओ ने आवेदन निरस्त करने हेतु टिप्पणी की थी, जिसके कारण अपीलांट के आवेदन को निरस्त किया गया था। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपने नाम के साक्ष्य के रूप में दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं। प्रस्तुत दस्तावेजात की जांच निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा से करवाए जाने के उपरांत ही नाम संशोधन किया जाना उचित है।

हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 23.12.2025 से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन नाम संशोधन हेतु प्रपत्र 8 रेफरेन्स नंबर S20094O8C1311251200182 को अस्वीकार किया गया है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा ने अपीलांट द्वारा फॉर्म 8 भरकर शुद्धि के लिए अपने नाम में अ. मन्नान के स्थान पर अब्दुल मन्नान करने के लिए रेफरेन्स नंबर S20094O8C1311251200182 से आवेदन किया था, जिसमें आधार कार्ड संलग्न किया था, उक्त आधार कार्ड में व मतदाता सूची में फोटो मैच नहीं होने के कारण एवं बीएलओ की फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट में आवेदनकर्ता अनुपस्थित रहने और बीएलओ ने आवेदन निरस्त करने हेतु टिप्पणी किये जाने पर ही अपीलांट का आवेदन दिनांक 23.12.2025 को निरस्त किया गया है। इससे जाहिर होता है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा ने अपीलाधीन आदेश पारित कियें जाने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि आदेश पारित करने से पूर्व विधिवित रूप से पक्षकारान की सुनवाई करना आवश्यक है। अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलांट अपने नाम के साक्ष्य के सबंध

जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मे दस्तावेजात पेश कर सकता था। अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपने नाम के साक्ष्य के रूप मे राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र,जन्म प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड व जन आधार कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत की है। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किये जाने के उपरान्त हम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित समझते है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि पक्षकारों की सुनवाई कर तथा दस्तावेजात की जांच कर विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर * टोंक (राजस्थान) *